झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या.....66..... वर्ष 2023.....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती सुप्रीति कुजूर
ग्रा०-बरांगो, प्र०-कर्रा,
जिला-खूँटी

बनाम

वाद प्रारंभ की तिथि
21/12/2023.

प्रतिवादी जिला समाज कल्याण पदा०,
खूँटी ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–66 / 2023 परिवादी श्रीमती सुप्रीति कूजुर, ग्राम–बराँगो, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूँटी का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा उल्लेख किया गया है कि वर्ष, 2022–23 में PMMVY का लाभ लेने हेतु उनके द्वारा सभी आवश्यक कागजातो के साथ आवेदन दिया गया था किन्तु अबतक उन्हें इस योजना की राशि नहीं मिली है। यह भी कि उनके बाद किये गये आवेदकों को राशि प्राप्त हो गई है। परिवादी का आरोप है कि इस संबंध में उनके द्वारा CDPO एवं DSWO कार्यालय से भी संपर्क किया गया एवं परिसदन भवन में राज्य खाद्य आयोग की बैठक में भी अपनी समस्या बताई गई किन्तु अबतक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx152	